संख्या-45/2026/2220/94-1-2026-312(177)/2025

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ०प्र० प्रयागराज।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक : 15 अक्टूबर, 2026**

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत राजस्व लेखा 2030, स्टाम्प पंजीकरण, 03 पंजीकरण, 001 निदेशन तथा प्रशासन 05-स्कैनिंग एण्ड इण्डेक्सिंग ऑफ ओल्ड डाक्यूमेन्ट के मानक मद संख्या 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में से अनुदान संख्या-91, के अन्तर्गत राजस्व लेखा 2030, स्टाम्प पंजीकरण, 03 पंजीकरण, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03-मुख्यालय के मानक मद संख्या 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में पुनर्विनियोग प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1284/नौ-104(बजट)/2026-27 दिनांक 19.09.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत राजस्व लेखा 2030, स्टाम्प पंजीकरण, 03 पंजीकरण, 001 निदेशन तथा प्रशासन 05-स्कैनिंग एण्ड इण्डेक्सिंग ऑफ ओल्ड डाक्यूमेन्ट के मानक मद संख्या 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में से धनराशि रु० 101.20 लाख का अनुदान संख्या-91, के अन्तर्गत राजस्व लेखा 2030, स्टाम्प पंजीकरण, 03 पंजीकरण, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03-मुख्यालय के मानक मद संख्या 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासिंगक व्यय के मानक मद में पुनर्विनियोग प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत राजस्व लेखा 2030, स्टाम्प पंजीकरण, 05-स्कैनिंग एण्ड इण्डेसिंग ऑफ ओल्ड डाक्यूमेन्ट के मानक मद सं०-16 से 03-मुख्यालय के मानक मद संख्या 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय के मानक मद में कुल धनराशि रु 101.20 लाख (रुपये एक करोड़ एक लाख बीस हजार मात्र) का निम्नलिखित शर्तों के अधीन पुनर्विनियोग की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है।

(4) उक्त मदों में पुनर्विनियोग की गयी धनराशि का व्यय किये जाने में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) पुनर्विनियोग की गयी धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस कार्य हेतु धनराशि आवंटित की गयी है।

(6) प्रकरण के विधिक पक्षों के परीक्षण तथा देय धनराशि के निर्धारण आदि का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय का होगा।

(7) यह आदेश वित्त विभाग के आर०ई० संख्या-बजट-1-135-E-9-121-X-2026-27 दिनांक 14.10.2026 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,01,20,000 (रुपये एक करोड़ एक लाख बीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या अनुदान संख्या-91, के अन्तर्गत राजस्व लेखा 2030, स्टाम्प पंजीकरण, 03 पंजीकरण, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 03-मुख्यालय के मानक मद संख्या 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासिंगक व्यय हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनाँक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या : 45/2026/2220(1)/94-1-2026-312(177)/2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र० प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज।
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।